TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II SECTION 3, SUB-SECTION (ii).

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

......

New Delhi, the 21st May, 1998.

NOTIFICATION
(INCOME TAX)

S.O. (E) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 54EA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby specifies the following shares and debentures as long term specified securities, for the purpose of said Section, namely :-

(a) Shares to be issued by M/s. Reliance Patalganga Power Ltd., a public company registered under the Indian Companies Act, 1956 and having its registered office at Shree Ram mills premises, 3rd Floor, Ganpat Rao Kadam Marg, Worli, Mumbai, within one year from the date of publication of this notification, of an amount not exceeding Rs.462.39 crores which are not transferable before three years after their allotment; and

(b) debentures to be issued by M/s. Reliance Patalganga Power Ltd., a public company registered under the Indian Companies Act, 1956 and having its registered office at Shree Ram mills premises, 3rd Floor, Ganpat Rao Kadam Marg, Worli, Mumbai within one year from the date of publication of this notification, of an amount not exceeding Rs. 1078.91 crores which are not transferable or convertible before three years after their allotment.

Notification No. 10615

(PROMILA BHARDWAJ)
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA
(F.NO.178/135/97-ITA-I)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड3, उपखण्ड(ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई, 1998

अधिसूचना

(आयकर)

का0आ0 (अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54 ड॰क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित शेयरों और डिबेंचरों को दीर्घ कालिक विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के रूप में उक्त धारा के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करता है, अर्थात्:-

(क) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी मैसर्स रिलाइन्स पातालगंगा पावर लि0 और जिनका अपना पंजीकृत कार्यालय श्री राम मिल्स परिसर, तृतीय तल, गणपतराव कदम मार्ग, वर्ली, मुम्बई में है, द्वारा जारी किए किए जाने वाले शेयरों जिनकी धनराशि 462·39 करोड़ से अधिक नहीं है, को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के अन्दर जो उनके आबंटन के बाद तीन वर्ष से पहले हस्तांतरणीय नहीं है; और

(ख) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी मैसर्स रिलाइन्स पाताल गंगा पावर लि0 और जिनका अपना पंजीकृत कार्यालय श्री राम मिल्स परिसर, तृतीय तल, गणपत राव कदम मार्ग, वर्ली मुम्बई में है, द्वारा जारी किए जाने वाले डिबेंचरों को, जिनकी धनराशि 1078·91 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के अन्दर, जो उनके आबंटन के बाद तीन वर्ष से पहले हस्तांतरणीय अथवा परिवर्तनीय नहीं हैं।

अधिसूचना सं0 10615

प्रोमिला भारद्वाज
(प्रोमिला भारद्वाज)
उप सचिव, भारत सरकार
(फा0सं0 178/135/97-आयकर नि0-1)

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के समीप) नई दिल्ली